प्रपत्र 34

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनी विकास खण्ड में जाबरी से जयकन्डी तक मोटर मार्ग का संरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 8.00 कि0मी0 तक के समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या :–

1. सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत जाबरी से जयकन्डी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखण का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के साथ निरीक्षण किया गया।
2. रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाबरी से जयकन्डी मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखनों पर विचार किया गया । समरेखन संख्या दो में स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं तकनिकी बिन्दुओं को ध्याान में रखते हुए समरेखन संख्या एक को मार्ग निर्माण के लिये अधिक उपयुक्त समझा गया है। प्रस्तावित समरेखन बाडव मल्ला – कान्धी मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से प्रारम्भ होता है तथा निर्धरित 8.00 कि0मी0 लम्बाई पूर्ण कर अजयपुर में समाप्त होता है। समरेखन में 6 हेयर पिन बैण्ड भी प्रस्तावित है। समरेखन की लगभग 3.500 कि0मी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि, 0.00 कि0मी0 रिर्जव फोरेस्ट से तथा शेष 4.500 कि0मी0 लम्बाई में निजी नाप भुमि सें होकर गुजरता है। नाप भूमि में पहाड़ी ढलान सामान्यतः 20^0 से 30^0 के मध्य तथा सिविल भूमि में 60^0 तक प्रतीत होता है। समरेखन क्षेत्र में सिविल भूमि में कहीं–कहीं चट्टान दृष्टिगोचर है,जबकि शेष भाग में मिटटी/डेब्री का ओवरबर्डन है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भु आकृति ,एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को स्थान में रखते हुए निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

   (1) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। जिस भाग में रिटेनिंग दीवार का निर्माण आवश्यक हो, दीवार का निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।

(2). मोटर मार्ग के निर्माण के समय समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुए तथा बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये गये मार्गो का कटान किया जाये।

(3) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, विशेष रूप से आबादी वाले भाग में, मार्ग कटान के साथ –साथ समुचित परिकल्पना की ब्रेस्ट वाल का निर्माण करा दिया जाये,जिससे अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(4) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोड साइड ड्रेन एवं स्कपर, काजवे कल्वर्ट आदि का निर्माण करांया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से ढलान पर भूक्षरण न हो।

(5) जहाँ अनावश्यक हो ,मार्ग से उपर या नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(6) चट्टानी भाग में जहाँ आवश्यक हो ,मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिगं की जाये।

(7) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों को एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनी विकास खण्ड में धुलाधार बैण्ड से गणेशनगर हेतु 8.00 कि0मी0 लम्बााई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में भुगर्भीय दृष्टि से उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:–भुमि हस्तान्तरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं उपलब्ध विवरणके आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है।समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर सुझाव की आवश्यकता होने पर अलग से अवगत कराया जाये।

[illegible] (Consulting Geologist)
[illegible]